न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया– आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 56/2025

अपीलार्थी –

01. मोहनराम पुत्र स्व. श्री शिवाराम ,जाति देवासी , निवासी 112, दर्जियों का बास, ग्राम फींच, तहसील लूणी जिला जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेन्टगण –

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी।
02. कालूराम पुत्र स्व. श्री शिवाराम जाति देवासी निवासी जाति देवासी , निवासी 112, दर्जियों का बास, ग्राम फींच, तहसील लूणी जिला जोधपुर
03. भीमाराम पुत्र श्री मगाराम, जाति देवासी , निवासी 112, दर्जियों का बास, ग्राम फींच, तहसील लूणी जिला जोधपुर

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते नाम दुरूस्तीकरण

उपस्थिति–

01. अपीलांट अधिवक्ता लूण सिंह गहलोत उपस्थित

02. रेस्पोडेन्टगण की ओर से अधिवक्ता अरविन्द कच्छवाहा उपस्थित

निर्णय

दिनांक 02-6-2025

पत्रावली के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी की हिस्सेदारी व प्रार्थी के सगे भाई, भतीजा, चाचा, ताउ आदि की हिस्सेदारी को कॉमन टिनेन्शी की खातेदारी का एक पुश्तैनी खेत खसरा संख्या 271 (रकबा 29 बीघा 4 बिस्वा) नया खाता संख्या 68 व पुराना खाता संख्या 60 वाके ग्राम फींच पटवार हल्का फींच तहसील लूणी जिला जोधपुर में स्थित है। जो कि प्रार्थी के पूर्वजों की पुश्तैनी मिल्कियत है। प्रार्थी के पिता के स्वर्गवास के पश्चात् प्रार्थी का उत्तराधिकारी का नामान्तरकरण दर्ज करते

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

समय राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी मे भूलवश प्रार्थी के बचपन का बोलता नाम मानाराम दर्ज हो गया था। प्रार्थी द्वारा उक्त वर्णित खसरा संख्या की जमाबंदी वर्ष 2074–2077 प्रदर्श– पी–1 में अंकित प्रार्थी के नाम मानाराम पुत्र शिवाराम का शुद्धिकरण प्रार्थी के सही नाम मोहनराम पुत्र स्व. श्री शिवाराम दर्ज करने का निवेदन किया है।

यह है कि प्रार्थी के बचपन का बोलता फैमेली नाम मानाराम था और आस–पड़ौस के बड़े बुजुर्ग लोग भी प्रार्थी को मानाराम कहकर ही बुलाते–पुकारते है। भूलवश राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी सम्वत् 2029–2032 मे प्रार्थी का बोलता नाम मानाराम पुत्र स्व. श्री शिवाराम दर्ज हो गया जो कि प्रार्थी के दस्तावेजी नाम से भिन्न होने से गलत है एवं रेकर्ड में गलत प्रविष्टि होना बताया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कक्षा 8 की टी.सी. व अंकतालिका प्रदर्श –पी–2 में बतौर प्रार्थी का नाम मोहनराम पुत्र श्री शिवाराम है जो कि राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, फींच के रेकर्ड सन् 1968 से चलता आ रहा है साथ ही विधानसभा निर्वाचक नामावली 1983 भाग संख्या 40 क्रम संख्या 833 प्रदर्श– पी –3 मे भी प्रार्थी का नाम मोहन पुत्र शिवजी दर्ज है एवं वर्तमान वोटर कार्ड में प्रदर्श–पी–4 में प्रार्थी का नाम मोहनराम पुत्र शिवाराम के साथ अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम मोहनराम पुत्र शिवाराम दर्ज है जो कि विद्यालय में अध्ययनरत वक्त से चला आ रहा है।

यह है कि प्रार्थी के माता–पिता ,चाचा– ताउ व वरिष्ठजन आदि अनपढ़/कम पढ़े– लिखे और खेती, किसानी, भेड़, बकरियां, मजदूरी करने वाले परिवार से है, जो गांव/ढाणी दूर–दराज इलाके में निवास करते आ रहे है जिनकों कानूनी प्रावधान जमाबंदी नियम कायदा आदि से अनजान व अनभिज्ञ होने से सवहन– भूलवश प्रार्थी का बोलता नाम मानाराम दर्ज हो गया था। प्रार्थी के बड़े बुजुर्गो को उस वक्त विद्यालय रेकर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम मोहनराम से अनभिज्ञ थे, इसलिए राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का बोलता नाम मानाराम दर्ज होने की चूक हो गई थी।

यह है कि प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार वालो को उक्त खेत की जमाबंदी में प्रार्थी के गलत/भिन्न नाम दर्ज होने की जानकारी तब हुई जब माह अगस्त/सितम्बर 2024 में आदान–अनुदान की सूची में प्रार्थी का नाम नही आया तो हल्का पटवारी को आधार कार्ड, वोटर कार्ड देकर नाम दुरूस्ती के लिए मौखिक रूप से निवेदन किया गया था, लेकिन कार्यवाही नही हुई उसके पश्चात् माह मार्च–2025 में खेत पर बिजली

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

कनेक्शन व पशु टिनशेड निर्माण के लिए लोन लेने के उद्देश्य से वर्तमान जमाबंदी का प्रिण्ट निकलाकर कानूनी सलाह लेकर प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं जमाबंदी वर्ष 2029–2032 में सहवन–भूलवश प्रार्थी का नाम मानाराम दर्ज होना एवं दस्तावेजी नाम से भिन्न होने से सही नही होना बताया है। उपरोक्त प्रकार से वर्णित त्रुटिपूर्ण नाम के इन्द्राज की जानकारी उक्त खसरा के अन्य हितबद्ध खातेदारों और अप्रार्थीगण संख्या 02 व 03 को भी है और इस शुद्धिकरण बाबत् स्वीकृति देने के लिए सहमत है। इस प्रकार से कारित हुई त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करते है।

यह है कि प्रार्थी के पूर्वाक्त खेत खसरा संख्या 271 ग्राम फींच तहसील लूणी की वर्तमान जमाबंदी वर्ष 2074–2077 में अंकित प्रार्थी का नाम मानाराम पुत्र शिवाराम के स्थान पर प्रार्थना पत्र मे निवेदित सही नाम मोहनराम पुत्र स्व. श्री शिवाराम दर्ज करवाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। जिसकी विधिवत तामिल प्राप्त हुई, जो शामिल मिसल की गई।

अप्रार्थी संख्या 02 एवं 03 जरिये अधिवक्ता श्री अरविन्द कच्छवाहा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम फींच के खसरा संख्या 271 तहसील लूणी जिला जोधपुर की जमाबंदी में भूलवश मोहनराम का घर परिवार में बचपन का बोलता नाम मानाराम पुत्र शिवाराम दर्ज हो गया था , इस भूल को सुधार कर मानाराम की जगर राजस्व रेकर्ड मे मोहनराम लिखने वास्ते में पूर्ण सहमति के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। जमाबंदी रेकर्ड में गलत नाम मानाराम का शुद्धिकरण कर इसके जगह मोहनराम पुत्र शिवाराम किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 02 एवं 03 को कोई उज्र ऐतराज, आपत्ति नही है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। जिस पर कार्यालय तहसीलदार लूणी के पत्रांक/भू. अ./2025/1573 दिनांक 26.05.2025 को तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें बताया गया कि ग्राम फींच के खसरा संख्या 271 रकबा 4.5648 हैक्टेयर मे मानाराम पुत्र शिवराम 1/8 जाति राईका दर्ज रेकर्ड है, नामान्तरकरण संख्या 275 मे सिवाराम फौत होने पर पेमाराम कालूराम

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

भीकाराम मानाराम पिता शिवाराम दर्ज हुआ, जो कि पैतृक भूमि है। मानाराम द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, मार्कशीट में मोहनराम पुत्र शिवाराम दर्ज है परन्तु राजस्व रेकर्ड में मानाराम पुत्र शिवराम दर्ज है। दोनों एक व्यक्ति के नाम है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का नाम मानाराम पुत्र शिवाराम के स्थान पर मोहनराम पुत्र शिवाराम किया जाना उचित बताया गया है।

बहस सूनी गई। बहस पर मनन एवं पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, प्रार्थी का नाम मानाराम पुत्र शिवाराम के स्थान पर मोहनराम पुत्र शिवाराम किये जाने के आदेश जारी किये जाते है। तहसीलदार लूणी को आदेशित किया जाता है कि ग्राम फींच के खसरा संख्या 271 रकबा 4.5648 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम यथा आदेशित राजस्व रेकर्ड मे अंकन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय आज ....02-6-2022.......दिनांक को बसरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी